ڈسپلن میں ہیں - میں آپکی معرفت سرکار سے یہ کہونگا - آپ سے یہ درخواست کرونگا کہ آپ اس چیز کا کوئی انتظام کریئے - یہ کوئی ایک گاڑی لیٹ ہونے کی بات نہیں ہے - آپ دیکھئے اس دیش کے لاکھوں کروڑوں عام انسانوں کا یہ آنے جانے کا سادھن ہے، اس کے ساتھ ملک کا ڈسپلن بھی جڑا ہوا ہے - یہ ساری چیزیں بے ترتیب چلے جائیں تو ہماری لائف میں ڈسپلن کیسے آئیگا - میں آپکے معرفت یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کا آدیش دیں کہ گاڑیاں وقت پر چلنی چاہیئے، گاڑیوں میں صفائی ہونا چاہیئے، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیئے۔

They should be given some stringent punishment so that other people can learn a lesson from it.

†[یہ میری آپ سے درخواست ہے اور یہ میری آخری بات ہے -

ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے پچاس سال بعد بھی پنجاب میں ایک انچ بھی نئی لائن نہیں ڈالی گئی ہے - اس کی طرف بھی میں آپکی معرفت ریل کے حکام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب وہ صوبہ ہے کہ ہندوستان کا بازوئے شمشیر ہے - جو سب سے زیادہ اناج دیتا ہے، جو سب سے زیادہ مین پاور دیتا ہے - اس ہندوستان کی بازوئے شمشیر کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام سب سے پیچھے ہے، ریلوے کا کام سب سے پیچھے ہے، بڑی انڈسٹری کا کام سب سے پیچھے ہے - یہ تفرقہ ختم ہونا چاہیئے - یہ میری آپ سے درخواست ہے -

میں آپکا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا - آپ کا بہت بہت شکریہ]

---

†[ ]Transilteration in Arabic Script

Non-payment of Compensatory Relief to Farmers of Madhya Pradesh for damage of their crops due to Natural Calamities

श्री बाल कवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। जिस समय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उस वक्त मैं मध्य प्रदेश के करीब-करीब 10 से 15 हजार के बीच में किसान अपनी खेतीबाड़ी, सारे काम छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर, संसद् के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए हमारे मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, उनके मंत्रिमंडल के

कई सदस्य, हमारे कई विधायक, जनप्रतिनिधि और कई मंत्री लोग वहां पर इस प्रदर्शन में शामिल हैं। आप माननीय सभापति जी, जानते हैं कि इस वक्त उनके यहां खेतीबाड़ी का समय है। ऐसे हज़ारों किसान यहां पर आए हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार उनके साथ क्या व्यवहार कर रही है। शायद उनकी गिरफ्तारियां शुरु हो गई होंगी। गत वर्षों मध्य प्रदेश में कुछ दैवी विपदाएं इस तरह से आईं कि वहां बाढ़ें आईं, भूकंप आए, अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई। माननीय सभापति जी, कुल मिलाकर 2960 करोड़ रुपये की मध्य प्रदेश की कम्पनसेशन की मांग है, यह मांग हमारी ओर से बार बार पेश की गई। तारीख 28.12.96, 3.6.97, 13.6.97, 9.9.97, 22.9.97, 25.11.97, 24.12.97, 4.2.98 और 3.4.98 के बीच का यह सारा मिज़ान है। इसमें हमें मिला कितना? यहां बरनाला साहब उपस्थित हैं। वे मेरी बात सुन रहे हैं। मुझे उनका ध्यान चाहिये। हमें मिला कुल कितना? अपने 100 दिन सेलीब्रेट करने वाली इस महान सरकार ने हमें क्या दिया है? कुल 67 करोड़ रुपये इसके प्रतिपक्ष में, इसके सामने हमें कुल 67 करोड़ रुपया मिला। एक पैसा आज तक इस सरकार ने हमको नहीं दिया। 5000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा दिये जाने का वादा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी चुनाव सभाओं में, भाषणों किया। भाजपा के लोगों ने दस्तखत करवाए, फार्म भरवाए और लाखों की तादाद में फार्म ले कर के यहां से वहां पेश करते रहे, उन सब को प्रस्तुत किया। परिणाम यह निकला कि हमारे किसान सड़क पर हैं। हम संसद् में आपके सामने गुहार लगा रहे हैं। भारत के कृषि मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषणों को कोट करने लगूं तो बहुत करुणाजनक स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने खुद वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 5000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को कम्पनसेशन दिलवाएंगे। आज वह सरकार में हैं। प्रधानमंत्री मूलत: कवि हैं लेकिन या तो उनकी संवेदना मर गई है या फिर उनकी सरकार के पास करुणा नाम की कोई चीज़ नहीं रही है।

माननीय सभापति जी, मुझे बहुत नम्रता से आपसे कहना है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। हस्तक्षेप करके कृषि मंत्रालय को इसके लिए निर्देशित करें। कहां तो हमें राशि चाहिए 2,960 करोड़ रुपए और कहां मिलती है 67 करोड़ रुपए। इसमें भी एक विसंगति है जिसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करके अपना स्थान ले लूंगा। मुझे खुद इस प्रदर्शन में शामिल होना है। जाना है। गिरफ्तारी होगी तो हम लोग देंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं चूंकि यहां कृषि मंत्री मेरी बात को गंभीरता से सुनते हुए प्रतीत हो रहे, हैं, कि 18 मई 1998 को कृषि मंत्रालय के ज्वांइट सेक्रेट्री मिस्टर अनिल सिन्हा ने एक पत्र लिखा और सभापति महोदय वहीं आंखो में आसूं आ जाते हैं वे पत्र में लिखते हैं कहा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के लिए अतिरिक्त केंन्द्रीय सहायता के लिए भेजे गए ज्ञापन का परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद इसमें यह पाया गया कि ज्ञापन में उल्लिखित प्राकृतिक आपदाएं प्रथम दृष्टया से दुलर्भ किस्म की नहीं हैं। अत: निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इसके लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक कोष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकती। इस सरकार ने पूरी निर्लज्जता के साथ इसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन एक पत्र हमें और मिलता है। 19 मई, 1998 को। मैं कृषि मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने मंत्रालय को टटोलें, अपनी शिराओं को देखें। अपनी धमनियों में प्रवाहित होते हुए रक्त का अंदाज लगाएं। दूसरे दिन, यहां से केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री सोमपाल जी... का पत्र हमको मिलता है (व्यवधान) आप पहले सुन लेते तो बड़ी कृपा करते।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): मैं आनरेबुल मेम्बर को बताना चाहता हूं कि मैं कृषि मंत्री 22 साल पहले था। आज नहीं हूं। कोई गल्ती कर रहे हैं थोड़ी।

मैं समझता हूं कि अगर मैं गल्ती कर रहा हूं तो आप मेरी गल्ती को सुधारने का अधिकार रखते हैं। आप जो भी सरकार के प्रतिनिधि बनकर सामने बैठे हुए हैं और इस सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए।

मुझे प्रसन्नता है कि आपने कम से कम मेरी गल्ती पर उंगली उठायी। लेकिन मैं आपकी समूची सरकार पर जिसके आप एक अंग हैं, बरनाला जी, और खुद किसान है - जिसे मैं क्या कहूं उसकी लापरवाही पर उंगली उठा रहा हूं। आप यदि उसके अंग है तो आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

इसके दूसरे दिन माननीय सभापति महोदय, 19 मई, 1998 को केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री सोमपाल जी का पत्र राज्य शासन को प्राप्त होता है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बहरहाल राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सहायता के लिए केन्द्र सरकार आपदा राहत कोष से हर वर्ष धनराशि राज्यों को देती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 1998 में दिए गए ज्ञापन में राहत आपदा कोष से मार्च 1998 में हुई ओला वृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत के लिए सहायता की मांग पर विचार किया जा रहा है।

यह विचार अभी तक तय नहीं हुआ है । आज किसान सड़कों पर हैं। दिल्ली की सड़कों पर हमारे मध्य प्रदेश का किसान प्रदर्शन कर रहा है। हम लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं और यह सरकार निर्लज्जता के साथ पहले तो अस्वीकार करती है । उसके बाद कहती है कि हम विचार कर रहे है। 24 घंटे में इस सरकार के कृषि मंत्रालय में दो करवटें बदल ली जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। कृपा करें और 3 हजार करोड़ के खिलाफ यदि हमें 67 करोड़ मिलता है और यह सरकार सौ दिन सेलीब्रेट करने के बाद एक पैसा भी नही देती है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सम्पूर्ण संरक्षण की हमें आवश्यकता है और इस प्रार्थना के साथ इस सरकार से हस्तक्षेप , सहानुभूति और सक्षम कार्यवाही का आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति जी, धन्यवाद।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने को सम्बद्ध करती हूं।

Urgent Need to Attend-to problem of Child Labour in Orissa

SHRI SANATAN BISI (Orissa): I will take only one minute, Mr. Chairman.

Sir, this mention is regarding the problem of child labour in Orissa. A survey of child labour conducted by the State Department of Labour and Employment has identified 2.15 lakh child labour in Orissa; over 20,000 of them are in hazardous industries; and only 15,000 of the total child labour are registered with the National Child Labour Project. A majority of these children are occupied in beedi-rolling units and the construction sector. Under the national Child Labour Project schemes, children engaged in hazardous occupations are withdrawn and they are rehabilitated in special schools. The present maximum permissible expenditure per child per year is insufficient due to the rise in prices. Further more, The NCLP is at a standstill as the Central Government has not released the funds. The instructors and the other staff are not getting their salaries regularly as a result of which the schools are even closed. There should be a serious monitoring of the activities of the special schools. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now the House adjourns till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty nine minutes past two of the clock

The Vice-Chairman (Shri Sanatan Bisi) in the Chair.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Re: Need to review the electoral system—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI) We will now take up Private Members' Business (Resolutions) and continue the discussion on the Resolution moved by Shri Ramadas Agarwal. Shrimati Urmilaben Chimanbhai Patel — not here. Dr. Ranbir Singh — not here. Shri Raghavji.

माननीय श्री राघवजी (मध्यप्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभार व्यक्त करता हूं कि आप ने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। श्री रामदास अग्रवाल जी भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने यह एक बहुत आवश्यक बिल प्रस्तुत किया है।

महोदय, चुनाव सुधार बीच-बीच में अवश्य होते रहे हैं, लेकिन जितने भी चुनाव सुधार हुए हैं वे वास्तव में आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते हैं और इसलिए चुनाव सुधारों की आवश्यकता आज भी महसूस होती रही है। महोदय, हिंदुस्तान संसार का सब से बड़ा प्रजातांत्रिक देश है । हिन्दुस्तान में सब से अधिक संख्या में मतदाता रहते हैं और लगातार 50 वर्षों से प्रजातंत्र इस देश में चल रहा है।

यह भी अपने में कोई कम उपलब्धि नहीं है। वर्तमान नियमों, कानूनों में अनेक त्रुटियां होने के बावजूद हमारा प्रजातंत्र चल रहा है, यह प्रजातंत्र पद्धति के लिए कम से कम एक शुभ बात है। अब तो इसमें तीन-चार सुधार होना चाहिए, जो जरूरी है। क्यों होना चाहिए, किन कारणों से इसकी आवश्यकता है, उसके बारे में रामदास जी ने अपने भाषण में काफी विस्तार से जिक्र किया है। आज चुनाव में बाहू-बल, धन-बल जाति बल का प्रभाव देखा जा रहा है। इसके कारण से जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, जो प्रजातंत्र को मजबूत होता देखना चाहते हैं, उनको चिंता होती है और उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। जनता का प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए,जो प्रजातंत्र की मूलभूत भावनाओं की पूर्ति करने वाला हो, जनता की भावना ठीक प्रकार से प्रतिबिंबित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि येन-केन प्रकारेण विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना कर कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाए और फिर जनहित की उसे कोई चिंता न हो। ऐसा कई बार पचास वर्षों में देखने को मिलता है।

उपसभाध्यक्ष जी, जिन लोगों ने पूर्व में संविधान